

पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ

लाजिस्टिक्स इकाई, सिग्नेचर भवन, पंचम तल, टावर-1 गोमतनीनगर विस्तार फेज-2 लखनऊ

(फैक्स नम्बर-0522-2724030)

संख्या : लाजि0-एम0टी0-61/2019 (आ0चा0 चयन)

दिनांक: नवम्बर 05 ,2019

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक
समस्त जोन्स उ0प्र0

2- अपर पुलिस महानिदेशक
पी0ए0सी0 मुख्यालय उ0प्र0
लखनऊ।

कृपया अपर पुलिस महानिदेशक/सदस्य, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीबी-चार-12(17)2019 दिनांक 30.10.2019 द्वारा चयन वर्ष 2016, 2017 व 2018 के 7835 रिक्तियों के सापेक्ष चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ सरकारी सेवा नियमावली-2015 के नियम-5(क) में आरक्षी चालक के पद पर चयन हेतु ऐसे आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पीएसी पात्र होंगे जो निम्न शर्तें पूर्ण करते हों:-

1. चयन वर्ष के प्रथम दिवस को 32 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हों
2. अच्छे स्वास्थ्य का हो और बगैर चश्मे या सहायता के आँखों की दृष्टि 6/6 हो
- 3-पूर्व में आरक्षी चालक के पद से प्रत्यावर्तित न हुआ हों।
- 4-मोटरयान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत भारी तथा हल्के वाहनो का ड्राइविंग लाइसेन्स धारक होना अनिवार्य हैं।
- 5-भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को 03 वर्ष की सेवा (प्रशिक्षण केन्द्र में किये गये प्रशिक्षण की अवधि को छोड़कर) पूर्ण कर ली हों।

6-विगत पाँच वर्षों की अवधि में:-

- (एक) सत्यनिष्ठा रोकी न गयी हो, या
- (दो) कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो, या
- (तीन) दो या उससे अधिक लघु दण्ड न मिले हों।

7-विगत तीन वर्षों की अवधि में:-


- (एक) कोई लघु दण्ड न मिला हो, या
- (दो) दो या उससे अधिक छोटे दण्ड न मिले हों, या
- (तीन) कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हों।

3- नामांकन भेजते समय निम्नांकित निर्देशो का कड़ाई से पालन किया जाय:-

1- नामांकित आरक्षी के स्वास्थ्य परीक्षण(विशेषतः दृष्टि परीक्षा) नमांकन भेजने के पूर्व ही करा लिया जाय तथा दृष्टि परीक्षा का परिणाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय अर्थात् दृष्टि परीक्षा के परिणाम ठीक है, आदि अंकित न करके चिकित्सक द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र में दृष्टि परीक्षा का परिणाम अंको में अंकित किया जाय। यदि दृष्टि परीक्षा में आरक्षी कलर ब्लाइन्ड पाया जाता है तो चिकित्सा प्रमाण पत्र में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय (नामांकन के साथ चिकित्सा प्रमाण अवश्य संलग्न किया जाय।

- 2- वाहन चालन कार्य के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।
- 3- नामांकन भेजने से पूर्व नामांकित आरक्षी नागरिक पुलिस, सशस्त्र पुलिस, आरक्षी पीएसी से इस आशय का बाण्ड भराकर रख लिया जाय कि आरक्षी चालक के पद पर उसकी प्रथम नियुक्ति पीएसी में की जायेगी, जिसपर उससे कोई आपत्ति नहीं होगी। इस बाण्ड की एक प्रति नामांकन के साथ भेजी जाय।
- 4- वाहिनियो द्वारा नामांकन निर्धारित प्रारूप में तैयार कर पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा, पीएसी मुख्यालय द्वारा वाहिनियो की सूचना संकलित कर हार्ड/साफ्ट कापी में लाजिस्टिक्स कार्यालय उपलब्ध करायी जायेगी। इसी तरह जनपदो द्वारा नामांकन अपने-अपने जोन कार्यालय को प्रेषित की जायेगी तथा जोनल कार्यालय सूचना संकलित कर इस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। किसी जनपद/वाहिनी की सूचना यदि सीधे इस कार्यालय को प्राप्त होगी तो उसे स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 5- निर्धारित तिथि के उपरान्त नामांकन स्वीकार नहीं किये जायेंगे, अतः समय सीमा का विशेष ध्यान दिया जाय।
- 6- इस निर्देश का जनपदो/वाहिनियो/इकाईयो में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय ताकि किसी भी इच्छुक/पात्र आरक्षी का नामांकन छूटने न पाये।
- 7- प्रत्येक चयन वर्ष का कट आफ डेट 01 जुलाई हैं।
- 8- आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पीएसी के अतिरिक्त आरक्षी आरमोरर एवं आरक्षी घुड़सवार पुलिस उक्त चयन में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।
- 9- नामांकन के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध करायी जाय कि प्रारूप में अंकित सभी सूचनाएँ सर्व प्रकार सही-सही अंकित की गयी है एवं अंकित की गयी सूचना में कोई त्रुटि नहीं हैं। विशेषकर जन्मतिथि एवं भर्ती तिथि का मिलान अवश्य कर लिया जाय।
- 4- अतः आपसे अनुरोध है कि समस्त जनपदो/पीएसी वाहिनियो/इकाईयो से उपरोक्त अर्हता पूर्ण करने वाले इच्छुक आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पीएसी का नामांकन TIMES NEW ROMAN FONT SIZE-10 में तैयार कर आवेदन पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं भारी तथा हल्के वाहनो का ड्राइविंग लाइसेन्स की प्रमाणित छायाप्रति सहित सम्बन्धित सहायक के माध्यम से दिनांक 20.11.2019 के सांयकाल तक इस उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:प्रारूप


(विजय कुमार मौर्य)

अपर पुलिस महानिदेशक "लाजिस्टिक्स"
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रतिलिपि:- समस्त विभागाध्यक्ष को सादर सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार नामांकन प्रेषित कये जाने हेतु सादर प्रेषित हैं।

आरक्षी चालक के चयन के सम्बन्ध में नामांकन उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप :-

क्र० सं०	पी० एन० ओ० न०	पदनाम	नाम	गृह जनपद	जाति	उप जाति	जन्म तिथि	दिनांक 01.07.16 को आयु		मर्ती तिथि	दिनांक 01.07.2016 को कुल सेवा (प्रशिक्षण अवधि को छोड़कर)		विगत 05 वर्षों में दिये गये दण्ड का विवरण		विगत 03 वर्षों में दिये गये दण्ड का विवरण		विभागीय कार्यवाही /पंजीकृत अभियोग का विवरण यदि कोई हो	दृष्टि परीक्षण का परिणाम 6/6 होना अनिवार्य है (कलर ब्लाइंड न होने का स्पष्ट उल्लेख किया जाय)	हैवी एवं लाइट वेडिकल के लाइसेन्स धारक का स्पष्ट उल्लेख किया जाय	वर्तमान नियुक्ति स्थान	अभियुक्ति				
								वर्ष	माह		दिन	वर्ष	माह	दिन	वर्ष	माह						दिन	वर्ष	माह	दिन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

प्रमाणित किया जाता है कि अंकित की गयी सभी सूचना अभिलेखों के आधार तैयार की गयी है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।

कम्प्यूटर कर्मी के
हस्ताक्षर व पदनाम

सम्बन्धित सहायक के
हस्ताक्षर व पदनाम

प्रधान लिपिक के
हस्ताक्षर व पदनाम

वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक
के हस्ताक्षर व पदनाम मुहर सहित

नोट- 1- समस्त सूचनाएं अंग्रेजी के **TIMES NEW ROMAN FONT SIZE-10** में तैयार की जायेगी।